

क्रमांक: प.9(1) शिक्षा-5/2010पार्ट

जयपुर, दिनांक: 25-6-2014

निदेशक,  
प्रारंभिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :- आर.टी.ई. प्रावधानानुसार निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय (Unit Cost) सत्र 2014-15 के निर्धारण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानान्तर्गत राज्य के निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण प्रति बालक व्यय रूपये 14034/- (अक्षरे चौदह हजार चोतीस रु. मात्र) प्रतिवर्ष तथा विद्यालयों को प्रति बालक प्रतिवर्ष दी जाने वाली निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की कीमत 107/-रु0 किये जाने की निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

01. यह यूनिट कोस्ट सत्र 2014-15 में प्रवेश लेने वाले बालकों पर लागू होगी।
02. प्रविष्ट किये गये बालकों का सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने-अपने नियंत्राधीन विद्यालयों में कराया जायेगा।
03. सत्यापन कार्य में प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं बालकों की नियमित उपस्थिति का उचित सत्यापन पश्चात् ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
04. इस यूनिट कोस्ट में निजी विद्यालयों द्वारा बालकों से वसूल किये जा रहे समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित माने जायेंगे।
05. इस यूनिट कोस्ट में छात्रों के लिए निर्धारित विद्यालय गणवेश पर होने वाला व्यय सम्मिलित नहीं है।
06. निजी विद्यालय इस अधिनियम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों एवं अन्य सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों के मध्य विद्यालय की सुविधाओं के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे।
07. यदि विद्यालय को राज्य सरकार/राजस्थान आवासन मण्डल/विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायतों आदि से भू-आवंटन की शर्तों में निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की किसी शर्त का उल्लेख है तो उस शर्त की सीमा तक पुनर्भरण देय नहीं होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग से उनकी आई.डी. संख्या 101402403 दिनांक 24.06.2014 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/युनिट कॉस्ट/18882/13-14

दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया आपके अधिनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्त आदेश प्रसारित करने का कष्ट करावें।
4. वित्तीय सलाहकार, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. उपनिदेशक, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा.....
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा..... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को उक्त आदेश प्रसारित करें।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर